संख्या-45/2024/I/546403/2024/71-2002(001)/5/2022

प्रेषक,

श्रीप्रकाश गुप्ता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 23 अप्रैल, 2024

विषयः- केन्द्र सहायतित योजना के अंतर्गत डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के गोमतीनगर विस्तार स्थित नवीन परिसर में यू0जी0 कोर्स की 50 सीटों की वृद्धि हेतु इन्डोर स्पोर्ट्स काम्पलेक्स के निर्माण कार्य के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3657/डा0रा0म0लो0आ0सं0/2024/सि0-154, दिनांक 12.02.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा केन्द्र सहायतित योजना के अंतर्गत डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के गोमतीनगर विस्तार स्थित नवीन परिसर में यू0जी0 कोर्स की 50 सीटों की वृद्धि हेतु इन्डोर स्पोर्ट्स काम्पलेक्स के निर्माण कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 6000.00 लाख (रूपये साठ करोड़ मात्र) के सापेक्ष धनराशि रू0 6045.84 लाख (साठ करोड़ पैंतालीस लाख चौरासी हजार मात्र) का विस्तृत आगणन उपलब्ध कराते हुए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि पूर्व में प्रश्नगत प्रायोजना के संबंध में शासनादेश संख्या-15/2023/31 /71-2-2023/001-71-2002-001-5-2022, दिनांक 14.02.2023 अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत केन्द्रांश की धनराशि रू0 994.00 लाख (रू0 नौ करोड चौरानवे लाख मात्र) तथा राज्यांश की धनराशि रू0 662.67 लाख (रू0 छः करोड बासठ लाख सडसठ हजार मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0 1656.67 लाख महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के माध्यम से संस्थान के एस0एन0ए0 खाता में उपलब्ध कराये जाने के आशय से अवमुक्त की गयी है।

3- प्रश्नगत प्रायोजना हेतु संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन धनराशि रू0 6045.84 लाख (साठ करोड़ पैंतालीस लाख चौरासी हजार मात्र) के सापेक्ष व्यय वित्त समिति द्वारा धनराशि रू0 5903.51 लाख (रूपये उनसठ करोड़ तीन लाख इक्यावन हजार मात्र) अनुमोदित की गयी है।

4- अतः केन्द्र सहायतित योजना के अंतर्गत डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के गोमतीनगर विस्तार स्थित नवीन परिसर में यू0जी0 कोर्स की 50 सीटों की वृद्धि हेतु इन्डोर स्पोर्ट्स काम्पलेक्स के निर्माण कार्य के संबंध में शासनादेश संख्या-15/2023/31/71-2-2023/001-71-2002-001-5-2022, दिनांक 14.02.2023 द्वारा अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि रू0 994.00 लाख (रू0 नौ करोड चौरानवे लाख मात्र) तथा राज्यांश की धनराशि रू0 662.67 लाख (रू0 छः करोड बासठ लाख सडसठ हजार मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0 1656.67 लाख (रूपये सोलह करोड़ छप्पन लाख सडसठ हजार मात्र) के व्यय की अनुमति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष प्रदान की जाती है:-

<u>नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों</u>

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/ 2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. प्रश्नगत परियोजना हेतु पूर्व शासनादेश संख्या-15/2023/31/71-2-2023/001-71-2002-001-5-2022, दिनांक 14.02.2023 एवं शासनादेश संख्या-42/2023/I/293704/2023-001-71- 2002-001-5-2022, दिनांक 28-03-2023 में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु निर्गत की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। अन्य कार्य हेतु व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार/ महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेग।
5. विशिष्टयों के अनुरूप समयबद्व रूप से गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रस्तावित समस्त कार्यो की गुणवत्ता व आडिट की जिम्मेदारी कार्य कराने वाले संस्था प्रमुख एवं कार्यदायी संस्था की होगी।
6. प्रश्नगत कार्य के लिये निर्विवाद रूप से नियमानुसार भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। निर्विवाद रूप से नियमानुसार भूमि उपलब्ध कराने का दायित्व संस्था प्रमुख का होगा।
7. निदेशक एवं कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।
8. निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना /कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रायोजना के निर्माण कार्य के संबंध में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश गुप्ता)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. अनु सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या -U.14017/31 /2016-ME-II Pt (2), दिनांक 21 सितम्बर 2022 के क्रम में सूचनार्थ।
6. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
9. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थाथन, लखनऊ।
11. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।